न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 02/2021
प्रकरण दर्ज तिथि :— 18.02. 2021
जीसीएमएस नम्बर :— 2021/18

प्रार्थी

1. गोविन्दसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी बांसिया रायपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. देवीसिंह पुत्र रूपसिंह जिसके कायम मुकाम
   1/1 सायरकंवर पत्नि देवीसिंह उदावत
   1/2 जीवनसिंह पुत्र देवीसिंह उदावत
   जातियान राजपूत निवासीगण बांसिया
   1/3 इन्दुकंवर पत्नि महिपालसिंह पुत्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी उदयपुर
   1/4 श्यामकंवर पत्नि शिवराजसिंह पुरावत पुत्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी भीलवाडा
   1/5 प्रकाशकंवर पत्नि विक्रमद्वितीयसिंह पुत्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी उदयपुर
   1/6 हुकमकंवर पत्नि राजेन्द्रसिंह पुत्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी गुजरात
   1/7 ओमजीतकंवर पत्नि विक्रमसिंह पुत्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी उदयपुर
2. भोपालसिंह पुत्र रूपसिंह जिसके कायम मुकाम
   2/1 भंवर कंवर पुत्नि भोपालसिंह उदावत
   2/2 नरेन्द्रसिंह पुत्र भोपालसिंह
   2/3 शेरसिंह पुत्र भोपालसिंह
   जातियान राजपूत निवासी बांसिया
   2/4 रेणुकंवर पत्नि देवेन्द्रसिंह राणावत पुत्री भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी भीलवाडा
   2/5 विनोद कंवर पत्नि पुष्पेन्द्र सिंह राणावत पुत्री भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी भीलवाडा
3. धनवीरप्रतापसिंह गोद पुत्र चन्द्रसिंह, जाति राजपूत निवासी बांसिया
4. प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली
5. तहसीलदार रायपुर
6. जिला कलक्टर महोदय पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 09 नियम 04 सी.पी.सी. एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी.
उपस्थित 1. श्री भूपेन्द्र सैन अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
2. श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 01/1 एवं 1/2 की तरफ से उपस्थित एवं शेष अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः 22.12.2022

प्रार्थीगण ओर से वकील श्री भूपैन्द्र सैन द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. एवं सपठित धारा 151 . के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि:—

1. दिनांक 30.01.2017 को आदेश 22 नियम 04 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, तथा संशोधित शीर्षक आना चाहिए उसका आदेश नहीं देकर सीधा कायम मुकाम एवं तलबी का आदेश दिया गया हैं।
2. दिनांक 30.05.2019 को बदल कर आगामी दिनांक 30.07.2019 पेशी दी गई तथा उसी काट छाट कर दिनांक 13.07.2019 की गई उक्त पत्रावली बिना अधिवक्ताओं को नोट करवाये तथा बिना सूचित करवाये

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

दिनांक 15.07.2019 को पेशी दी गई, दिनांक 15.07.2019 को पेशी बाबत् काट छाट कर आगामी पेशीयों बाबत् दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं को पेशी बाबत् सूचना नहीं दी गई एवं वादी का वाद दिनांक 12.09.2019 को अदम पैरवी, अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया हैं।

3. कोरोना महामारी फैल जाने से पक्षकार एवं उसके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके दिनांक 12.02.2021 को वादी एवं उसके अधिवक्ता को उक्त वाद की जानकारी होने पर एवं सम्पूर्ण नकले लेने पर उक्त वाद खारिज होने की जानकारी हुई, इस कारण से जानकारी होते ही यह आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

4. उक्त वाद खारिज की जानकारी वादी एवं उसके अधिवक्ता को नहीं थी, उक्त वाद को पुनः रेस्टोर कर वादी को नहीं सुना जाता है तो वादी को अपने हितो व अधिकारों से वंचित होना पडेगा, प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि वादी के वाद को पुनः बरामद कर रेस्टोर फरमाकर वादी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1/2 से 1/7, 02 एवं 03 के जरिये अखबार छाया में नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गयें। अप्रार्थीगण संख्या 1/1 एवं 1/2 की ओर से वकालतनामा श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता ने पेश किया, जो सा.मि. किया गया हैं। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर जबाव,शपथपत्र पेश किया जो संलग्न पत्रावली हों। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबावदावा का संक्षिप्त विवरण निम्न हैं:–

1. उक्त प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 का जबाव हैं कि वर्णित कथन अस्वीकार हैं क्योंकि प्रार्थना पत्र 22(04) सीपीसी स्वीकार होने पर वादपत्र में संसोधित शीर्षक पेश होने के साथ कायम मुकाम की तलबी की जाती हैं। दिनांक 30.01.2017 की आदेशिका में अगर भूलवश संसोधित शीर्षक पेश करने बाबत् नहीं लिखा तो वादीगण अधिवक्ता या वादी ने उक्त तर्क का कभी उजर वादपत्र में पेश नही किया जबकि उनकी उपस्थिति वादपत्र में 30.01.2017 से लगातार चली आ रही हैं।

2. उक्त प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 का जबाव हैं कि वर्णित कथन अस्वीकार हैं क्योंकि प्रार्थी द्वारा न्यायालय पर आरोप लगाया गया है कि दिनांक 15.07.2019 को पेशी बाबत् दोनो पक्षों के अधिवक्तागण को पेशी बाबत् सूचना नहीं दी गई, उक्त तथ्य झूठे हैं।क्योंकि दिनांक 30.05.2019 को न्यायालय द्वारा 13.07.2019 ही तारीख दी गई थी एवं 13.07.2019 एवं 14.07.2019 को राजकीय अवकाश होने पर पत्रावली आगामी कोर्ट के दिन यानि 15.07.2019 को पेशी नियत थी। उक्त दिनांक 15.07.2019 को पत्रावली न्यायालय में पेशी हुई एवं उक्त पत्रावली की आदेशिका अनुसार वकील वादी उपस्थित हैं। फिर आगामी पेशी दिनांक 31.07.2019 दी गई। दिनांक 31.07.2019 को ना तो वादी एवं ना ही वादी अधिवक्ता न्यायालय हाजा में उपस्थित नही हुए फिर भी न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष के प्रति संवेदना रखते हुए पत्रावली को खारिज नहीं किया जाकर आगामी पेशी करीब 42 दिन की पेशी दिनांक 12.09.2019 दी गई। दिनांक 12.09.2019 को वादी स्वयं एवं वादी अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नही हुए जिस पर न्यायालय द्वारा पूर्ण कानूनी कार्यवाही अपनाते हुए पत्रावली को खारिज किया गया, जो सही हैं। प्राथी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 18.02.2021 को पेश किया गया हैं जबकि मूल वाद दिनांक 12.09.2019 को खारिज किया गया हैं।उक्त प्रार्थना पत्र करीब 515 दिन का समय निकाल दिया, जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र म्याद बाहर हैं। उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारिज किया जावें।

3. उक्त प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 03 का जबाव हैं कि वर्णित कथन अस्वीकार हैं क्योंकि मूल वाद दिनांक 12.09.2019 को खारिज हुआ था और कोरोना महावारी भारत में दिनांक 22.03.2020 को आयी थी। कोरोना महावारी के करीब छह माह पूर्व वादपत्र खारिज हुआ था। वादी अधिवक्ता उक्त करीब छह माह में कार्य

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (पाली)

दिवस में न्यायायलय में करीब करीब हमेशा उपस्थित हुए हैं उन्होने उक्त वादपत्र की जानकारी नही ली या वादी दिनांक 30.07.2019 को न्यायालय में उपस्थित होता हैं उसके नौ माह तक उसने उपने वादपत्र की अपने अधिवक्ता से पूछताछ की होगी तथा कोरोना मंहावारी अगस्त में समाप्त हो गई एवं न्यायालय सुचारू रूप से चालू होने के करीब आठ माह बाद वादी को उक्त वादपत्र खारिज होने की जानकारी हुई ये सारे तथ्य झूठे हैं केवल उक्त प्रार्थना पत्र म्याद बाहर है। उक्त प्रार्थना पत्र काबिज खारिज करने योग्य हैं।

4. उक्त प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 04 का जबाव हैं कि वर्णित कथन अस्वीकार हैं क्योंकि उक्त वादपत्र दिनांक 30.01.2012 से न्यायालय में विचाराधीन हैं जिसमें आज दिनांक समस्त प्रतिवादीगण की वादी द्वारा तामिली नहीं की गई एवं दिनांक 13.12.2012 को प्रतिवादीगण संख्या 02 की तामिली अखबार छाया का आदेश करवाने के बावजूद दौराने वाद तक उनके द्वारा अखबार छाया पेश नहीं किया गया दिनांक 30.01. 2017 को आदेश 22(04) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश होने के बावजूद भोपाल सिंह के कायम मुकाम को नोटिस ना तो पेश किया एवं ना ही किसी प्रकार से तामिली नहीं की गई अगर वादपत्र 2012 से न्यायालय में विचाराधीन हैं एवं 2019 तक तामिली नही हुई हैं तो वादी के हित किसी प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं एवं वादी को किस प्रकार की हानि हो रही हैं।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र का जबाव पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित तमाम कथन गलत होने से अस्वीकार हैं एवं प्रार्थी द्वारा पेश उक्त प्रार्थना पत्र मयाद बहार है उक्त प्रार्थना पत्र 515 दिन बाद पेश किया गया है एवं प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य न्यायसंगत नहीं होने से, विधिविरूद्ध होने से एवं म्याद बहार होने से काबिज खारिज योग्य हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दोराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि हमे वादपत्र खारीज होंने की जानकारी दिंनाक 12.02.2021 को मिली एव उसके छह दिन बाद उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जो म्याद अन्दर मानते हुए स्वीकार फरमावें। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र 515 दिन बाद पेश किया गया है एवं प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य न्यायसंगत नहीं होने से, विधिविरूद्ध होने से एवं म्याद बहार होने से काबिज खारिज योग्य हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बहस एवं पत्रावली अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 09 नियम 04 सीपीसी म्याद बहार होने से एवं पोषनीय नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 09 नियम 04 सीपीसी म्याद बहार होने से एवं पोषनीय नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 22.12.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)